International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 15-05-2023, Accepted: 30-05-2023, Published: 15-06-2023
Volume 9, Issue 3, 2023, Page No. 73-75

मोदीकाल में भारत–नेपाल प्रमुख भू–राजनीतिक चुनौतियो का अध्ययन

डॉ. संजय कुमार पांडेय[1], अभिषेक भारती[2]

[1] अस्सिटेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

[2] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

नवीन भारतीय संसद में उल्लेखित मानचित्र के अनुसार प्राचीन काल में नेपाल वृहत भारत का हिस्सा था।यही वजह है कि उत्तर भारत में शासन करने वाले अधिकांश साम्राज्य का प्रभाव नेपाल पर भी था। ब्रिटिश काल में भारत–नेपाल सम्बंध मुख्यतः 1816 की सुगौली संधि व 1923 की शांति व मैत्री संधि के माध्यम से संचालित थे। आजादी के बाद की परिवर्तित परिस्थितियो में 1950 शांति व मैत्री संधि तथा1960 की वाणिज्य संधि दोनो देशो के समाजिक व वाणिज्यिक अंतरसम्बध्दता का प्रमुख आधार है।किंतु विगत वर्षो में नेपाल में भारत के विकल्प के रुप में चीन का आर्थिक व राजनीतिक हस्ताक्षेप निरंतर बढा है, जिससे निश्चित ही भारत–नेपाल भू–राजनीतिक सम्बंध प्रभावित हुआ है।

मूल शब्द: उपनिवेशवाद, छिद्रिल सीमा, वामपंथ, शांति व मैत्री संधि, मधेश समस्या, नोटबंदी, अग्निवीर योजना, त्रिपक्षीय संधि, गोरखा सैनिक आदि

भारत से ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद 1950 की शांति व मैत्री संधि के माध्यम से एक देश के नागरिकों को दूसरे देश में निवास, संपत्ति, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में परस्पर समान विशेषाधिकार प्रदान संबंधों को गति दी गई। आजादी के बाद से ही नेपाल में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों में भारत की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका रही है। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना भारत की नेपाल नीति का एक प्रमुख आधार है। भारत ने 1950 के लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन किया, जिसके माध्यम से राणा शासन को उखाड़ फेंका गया। भारत ने 1990 में बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली से सम्बंधित जनलोकतांत्रिक आंदोलन का भी समर्थन किया। 21वी सदी में नेपाल में राजनीतिक दलों और राजशाही के हितों को समायोजित करने हुए भारत सरकार ने ट्विन पिलर पॉलिसी को अपनाया। कालांतर में 2006 के जनलोक्तत्रिक आंदोलन में भारत के राजनीतिक समर्थन के बाद ही, 240 वर्ष पुरानी राजशाही को खत्म कर नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। किंतु विगत एक दशक में द्विपक्षीय संबंधों के विशिष्ट घटकों में आए बदलाव के कारण चीन ने खुद को एक वैकल्पिक भागीदार के रूप में स्थापित किया है। प्राचीन समय से ही भौगोलिक व अवगमनात्मक अंतरसंबद्धता तथा समाजिक व सांस्कृतिक समानता के बावजूद भारत नेपाल संबंध में कई भू राजनीतिक चुनौतियों है।

उक्त लेख में खुली सीमा, मधेश समस्या, भारत में नोटबंदी व अग्निवीर योजना आदि से उत्पन्न भारत नेपाल भू राजनीतिक चुनौतियों का उल्लेख किया गया है ?

खुली सीमा संबंधित चुनौतियां

नेपाल अपने दक्षिणी पड़ोसी के पांच राज्यों की इक्कीस जिलों के साथ लगभग 1750 किमी. की सीमा साझा करता है। भारत–नेपाल सीमा निर्धारण हेतु 1981 में सीमा प्रबंधन समिति का गठन किया गया, विगत तीन दशक में दोनो देशों के मध्य की लगभग 98% सीमा को लेकर आमसहमति बन गई है। किंतु कालापानी, सुस्ता आदि क्षेत्र को लेकर विवाद, दोनो देशो के मध्य प्रमुख सीमा चुनौती है, जिसकी जड ब्रिटिश कालीन सुगौली संधि में काली नदी व गंडक नदी के उदगम सम्बंधित अस्पष्टता है। वर्तमान में सीमा चुनौतियो में एक प्रमुख समस्या पिल्लर मरम्मतीकरण की है। भारत–नेपाल पिल्लर मरम्मतीकरण ऑड–ईवेन व्यवस्था पर आधारित है। भारत ने 2014 में बॉर्डर वार्किंग ग्रुप की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत को आवंटित पिल्लर की मरम्मत करना व सीमा की जीपीएस ट्रैकिंग करना। किंतु नेपाल में पिल्लर मरम्मतीकरण के संदर्भ में निष्क्रियता के कारण कई क्षेत्र में सीमा चिन्हिकरण की समस्या निरंतर बढ रही है।

नेपाल में चीन समान की डपिंग, हाल के वर्षो में एक प्रमुख समस्या है। नेपाली नागरिको की सीमित क्रय क्षमता के कारण व्यापारी सीमापार कर चीनी समान को भारतीय बाजार में अवैध रुप से बेचते है। भारत–नेपाल छिद्रिल सीमा के कारण अवैध वस्तु व मादक पदार्थ की तस्करी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जिस कारण प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड भारतीय मुद्रा की हानि हो रही है।वर्तमान समय में छिद्रिल सीमा के कारण अफीम, गांजा, शराब जैसे मादक पदार्थ, सिंथेटिक कपडा व इलेक्ट्रानिक वस्तुओ का अवैध व्यापार हो रहा है।

1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में नेपाल में आईएसआई के कैप की स्थापना हुई, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र में आतंकवादी संगठनो के बढते प्रभाव व सीमापार गतिविधियो में उनकी संलिप्तता के कारण, उत्तर प्रदेश व बिहार के विशाल जनसंख्यिकी की सुरक्षा निश्चित ही बडा खतरा है। इसके अतिरिक्त छिद्रिल सीमा व अनगिनत मार्गो के कारण अपराधियो द्वारा नेपाल को शरणास्थल के रुप में इस्तेमाल करना भी एक प्रमुख समस्या है। इस सन्दर्भ में दोनो देशो को सन्युक्त टीम का गठन कर छिद्रिल सीमा के संवेदनशील क्षेत्र की निरंतर पेट्रोलिंग की जाए।

मधेश समस्या

मधेशी सामान्यतः उत्तर प्रदेश व बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक है। यह समाज ही दोनो देशो के मध्य समाजिक बंधनो का प्रमुख निर्धारक है। मधेशियो को भारत समर्थक मानकर लम्बे समय तक राजशाही द्वारा इन्हे नागरिकता व अन्य सुविधाओ से वंचित रखा। जिस कारण वेदांत झा व रघुनाथ ठाकुर व अन्य के नेतृत्व में नेपाल में पहचान आधारित आंदोलन लम्बे समय से सक्रिय है। मधेशियो की प्रमुख समस्या नागरिकता से सम्बंधित

है। 1964 व 1990 के नागरिकता अधिनियम के तहत मधेशियो को नागरिकता प्रमाण पत्र से वंचित कर दिया गया था, जिस कारण वे न तो भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर सकते थे और न ही सरकारी लाभ। यद्यपि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2006 के तहत 1990 के बाद नेपाल में पैदा हुए तथा स्थायी रुप से रहने वाले मधेशियो को नागरिकता प्राप्त करना सम्भव हो गया है, किंतु फिर भी कई मधेशी आज भी नागरिकता से वंचित है। 2015 में प्राख्यापित संविधान में नागरिकता से सम्बंधित अनुच्छेद 10 की उपधारा 6 में नेपाल में विवाहित विदेशी महिला मात्र देशीयकरण के माध्यम से ही नागरिकता प्राप्त कर सकती है। इसी अनुच्छेद की उपधारा 7 के अनुसार विदेशी नागरिक की नेपाली विवाहिता के नवजात को वंशागुनत नागरिकता नही मिलेगी। संविधान में नागरिकता से सम्बंधित यह दोनो प्रावधान मधेशी समाज को प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करता है, क्योंकि यह समाज ही सीमापार भारतीयो के साथ वैवाहिक सम्बंधो में बधॉ हुआ है। इसके अतिरिक्त 2008 से ही मधेश समाज "एक मधेश दो प्रदेश" की मांग को लेकर आंदोलनरत था।किंतु संविधान में मधेश समाज की मांगो के प्रति उदासीनता ने मधेश समाज को आंदोलन हेतु विवश किया, जिसके परिणामस्वरुप ही 2015–16 में भारत–नेपाल सीमा बाधित हुई। इस सीमाबंदी के कारण खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम व अन्य अति आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति बाधित होने से आमजनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया। इस परिस्थिति ने नेपाल में भारत विरोधी भावना बढाने में भी प्रमुख भूमिका निभाई। यह चीन के साथ सम्बंधो को नई ऊचाई देने हेतु नेपाल की वामपंथी पार्टियो के लिए एक अवसर था। 2016 में नेपाल–चीन ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट समझौता इस क्षेत्र में ही एक प्रयास था।इस समझौते के माध्यम से चीन के सात बंदरगाह का एक्सेज नेपाल को प्रदान किया गया। यद्यपि चीन के माध्यम से वस्तुओ का आयात–निर्यात भारत की तुलना में महंगा है किंतु यह भारत पर निर्भरता कम करने का प्रयास था।

मधेश समाज की मांगो के संदर्भ में नेपाल की संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2020 प्रस्तुत किया गया। एक लम्बे अंतराल के बाद जून 2023 में नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा के समय राष्ट्रपति द्वारा नागरिकता अधिनियम की स्वीकृति व उसके तुरंत बाद ही नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम पर प्रश्नचिन्ह लगाना, निश्चित ही मधेशी हितो के विपरीत है। तराई क्षेत्र मधेशी बाहुल्य है, नेपाल की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत तराई क्षेत्र से हैं, ऐसे मधेशी समाज के असंतुष्ट होने से क्षेत्र में अव्यवस्था उत्पन्न होगी, जो निश्चित ही सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा हेतु भी चिंताजनक है।

1950 की संधि समीक्षा सम्बंधित विवाद

1950 के बाद की परिवर्तित परिस्थितियो में तिब्बत के चीनी अधिग्रहण से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर नेपाल के अंतिम राणा शासक व भारत सरकार के मध्य 1950 की शांति व मैत्री संधि हुई। यह संधि विगत सात दशक से द्विपक्षीय संबंधों का प्रमुख आधार है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, संधि समीक्षा को लेकर राजशाही समर्थक, वामपंथी राजनीति दल मुखर है।1996 में माओवादी उग्रवादियो की 40 सूत्रीय मांग में भी संधि को नेपाल की सम्प्रभुता के लिए खतरा बताया।1950 शांति व मैत्री संधि में अनुच्छेद 5 को लेकर सर्वाधिक विवाद है,क्योंकि नेपाल इसे अपनी संप्रभुता पर खतरा मानता है। 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन के बाद काफी विचार विमर्श के बाद भारत–नेपाल 1950 शांति व मैत्री की समीक्षा हेतु 2016 में प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह (ईपीजी) का गठन किया गया।किंतु विगत सात वर्षो में ईपीजी रिपोर्ट के संदर्भ में कोई प्रगति न होना चिंताजनक है।इस संदर्भ में नेपाल का यह दावा है कि भारत रिपोर्ट को स्वीकार नही करना चाहता है क्योंकि ईपीजी ने कथित तौर पर 1950 की संधि को बदलने की सिफारिश की है, जबकि भारत आमसहमति के आधार पर निर्णय की वकालत करता है। किंतु नेपाल को यह समझना होगा कि संधि भारत–नेपाल द्विपक्षीय सम्बंधो में महत्वपूर्ण है, ऐसे में राजनीतिक महत्वकांक्षा व बाह्य राष्ट्रो के प्रभाव में संधि की प्रसांगिकता पर अनावश्यक प्रश्नचिन्ह दोनो देशो के राष्ट्रीय हितो के अनुकूल नही है।

अग्निवीर योजना व गोरखा सैनिक

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशको में जातिगत श्रेष्ठता सिध्दांत के विचार ने भारत में ब्रिटिश सैन्य भर्ती नीति को आकार दिया। एंग्लो–नेपाल युद्ध (1814–1816) में ब्रिटीश ईस्ट इंडिया के जनरल डेविड ऑक्टरलोनी गोरखा सैनिकों की वीरता से प्रभावित हुए, जो कालांतर में ब्रिटिश भारतीय सेना में गोरखा सेना के प्रवेश का प्रमुख कारण बना। तत्कालिक राणा शासको ने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी को सैन्य सहयोग प्रदान किया। जिसके परिणामस्वरुप ही, 1860 में बर्दिया, कैलाली और कंचनपुर आदि पश्चिमी नेपाल के पूर्वविजित क्षेत्र नेपाल को पुनः वापस कर दिया गया। बाद में, राणा शासकों ने ब्रिटेन से राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से गोरखा भर्ती को "कूटनीतिक टूल्स" के रूप में भी इस्तेमाल किया। गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश भारतीय सेना की सबसे सशक्त सैन्य ईकाई थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत,नेपाल व ब्रिटेन के मध्य 1947 की त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं में गोरखा सैनिको की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस समझौते के अनुसार, चार गोरखा रेजीमेंट ब्रिटिश सेना तथा छः रेजीमेंट स्वतंत्र भारत की सेना का हिस्सा बनी। विशेष रूप उल्लेखनीय है कि गोरखा सैनिकों ने 1962 के चीन युद्ध व 1965,71 के पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण व सराहनीय भूमिका निभाई।यद्यपि 1962 के युद्ध में चीन ने राजशाही को भारतीय सेना से गोरखा सैनिको को वापस बुलाने का दबाव बनाया किंतु नेपाल के लोकतांत्रिक दलो व अन्य के दबाव में वह असफल रहे। 1962 के युद्ध में भारत के लगभग 4,000 युद्धबंदियो में से लगभग 700 गोरखा सैनिक थे।

वर्तमान में भारतीय सेना के सात गोरखा रेजिमेंट में लगभग 32,000 नेपाली नागरिक सेवारत हैं। जून 2022 में, भारत ने अपने सशस्त्र बलों की भर्ती और सेवानिवृत्ति तंत्र में सुधार के उद्देश्य से अग्निपथ योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 17 से 21 आयु वर्ग के युवाओं को चार वर्ष की अस्थायी सेवा के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य योग्यता आधारित भर्ती और प्रौद्योगिकी समावेशन के माध्यम से भारतीय सैन्य शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है।किंतु इस योजना को देश के कई हिस्सों में विरोध का सामना करना पडा, विरोध का मुख्य कारण चार वर्ष की अस्थायी सेवा, पेशन व नौकरी की सुरक्षा की कमी थी। इस योजना ने भारतीय सेना में गोरखा रेजीमेंट के भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिया। यद्यपि 1947 त्रिपक्षीय समझौते में भर्ती प्रक्रिया पर देशों के बीच किसी भी समन्वय का कोई उल्लेख नहीं है। नेपाल ने भारत से नई अग्निपथ योजना के तहत गोरखाओं की भर्ती की योजना को तब तक के लिए स्थगित करने का आग्रह किया जब तक कि नेपाली राजनीतिक दल नई योजना की समीक्षा नहीं कर लेते और आम सहमति पर नहीं पहुंच जाते। नेपाल की मुख्य विपक्षी दल, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) ने अग्निपथ योजना को 1947 के त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन बताया। भारत की अग्निपथ योजना ने वामपंथी व अन्य नेपाल के राजनीतिक दलो को अपने राजनीतिक एजेंडो को पूर्ण करने का एक अवसर प्रदान किया है। 2021–22 भारतीय सैन्य भर्ती प्राक्रिया से गोरखा सैनिको का दूर रहना चिंताजनक है।

भारत–चीन टकराव के समय पर भारतीय सेना में गोरखा सैनिको की भर्ती सम्बंधित मुद्दा द्विपक्षीय सम्बंधो में निश्चित ही एक नवीन भू–राजनीतिक चुनौती है।

इस योजना के तहत चल रही भर्ती प्राक्रिया में गोरखाओ की स्थिति को लेकर कूटनीतिक स्तर पर राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। कुछ राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद, नेपाली युवा भारतीय सेना में वेतन, भत्तों और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ भारतीय सेना में कार्य करने को इच्छुक है, वर्तमान में भी लगभग 1,22,000 गोरखा पेंशनरों को भारत सरकार से समर्थन प्राप्त है।

यहॉ समस्या यह है कि यदि भारत सरकार गोरखाओ को अग्निवीर योजना से बाहर रखकर, नियुक्ति हेतु पूर्ववर्ती योजना को ही आधार बनाया जाता है तो भर्ती प्राक्रिया के खिलाफ भारतीय युवाओ का विरोध और तीव्र हो सकता है और यदि गोरखा समस्या के समाधान पर विचार नही किया जाता है तो यह भारतीय सुरक्षा हेतु खिलाफ होगा और सैन्य क्षेत्र में भी चीन को नेपाल में प्रभाव विस्तार का अवसर मिलेगा।

नोटबंदी व नेपाल

2016 में 500, 1000 की विशिष्ट भारतीय मुद्रा के विमुद्रीकरण से उत्पन्न परिस्थितियो ने भारत के साथ–साथ नेपाल की जनता को भी प्रभावित किया। भारत में विमुद्रीकरण के बाद भारतीय नोटो के एक्सचेंज हेतु नेपाल राष्ट्र बैंक को अधिकृत किया गया था।नेपाल राष्ट्र बैंक को लगभग 8 करोड भारतीय प्रतिबंधित मुद्रा प्राप्त हुई। किंतु प्रतिबंधित मुद्रा के एक्सचेंज हेतु नियम के संदर्भ में सहमति के अभाव से मुद्रा एक्सचेंज नही हो पाया। मुद्रा एक्सचेंज में आ रही समस्याओ के मद्देनजर ही 2018 में नेपाल में 100 रुपये से अधिक की भारतीय मुद्राओ को अवैध घोषित कर दिया गया, जिससे व्यापार व नेपाल में भारतीय पर्यटको को असुविधा का सामना करना पडता है।भारत की बडी मुद्रा नोटो के नेपाल में वैध चलन से बाहर होने के कारण ही मई 2023 में 2000 की मुद्रा एक्सचेंज का नेपाल पर कम प्रभाव पडा, किंतु चूंकि सीमावर्ती नागरिक व्यापार व अन्य हेतु निरंतर सीमापार करते रहते हैं ऐसे में सीमावर्ती नागरिको को निश्चित ही समस्या हुई होगी। भारत–नेपाल छिद्रिल सीमा के कारण दोनो देशो के सीमावर्ती नागरिक व्यापार व अन्य हेतु भारतीय मुद्रा का बडे पैमाने पर प्रयोग करते हैं।किंतु मुद्रा विमुद्रीकरण व मुद्रा एक्सचेंज सम्बंधित समस्याओ के कारण हुई समस्या ने आमनागरिको में भारत विरोधी भावना बढाने में मुख्य भूमिका निभाई है।

निष्कर्ष

भारत–नेपाल समाजिक, सांस्कृतिक,आर्थिक अंतरसम्बद्धता द्विपक्षीय सम्बंधो की प्रमुख डोर है।भारत, नेपाल के आर्थिक व राजनीतिक विकास का प्रमुख साझेदार देश है। नेपाल की विशेष भू–राजनीतिक स्थिति के कारण उत्तर भारत के विशाल जनसांख्यिकी क्षेत्र तथा उत्तर–पूर्व के संवेदनशील भू–भाग की सुरक्षा में प्रमुख निर्धारक है। ऐसे में दोनो देशो को यह समझना होगा कि भारत–नेपाल सम्बंध कूटनीतिक से ज्यादा प्राकृतिक व दोनो को एक–दूसरे की आवश्यकता है।विशेष रुप से भारतीय नीति निर्माताओ को यह समझना होगा कि चीन नेपाल में भारत के विकल्प के रुप में स्वय को स्थापित कर रहा है, ऐसे में यदि द्विपक्षीय चुनौतियो का शीघ्र समाधान नही किया गया तो वैचारिक जुडाव वाले नेपाल के वामपंथी दल के सहयोग से चीन का निरंतर प्रभाव बढेगा।जो न केवल नेपाल में भारतीय हितो अपितु दक्षिण एशिया के अन्य राष्ट्रो के साथ सम्बंधो को भी नकारात्मक रुप से प्रभावित करेगा।

संदर्भ ग्रंथ

1. Rae Ranjit. Resetting Nepal-India ties, The Kathmandu Post, 2021.
2. Jaiswal, Pramod. India-Nepal Relations: Mixed Fortunes, Institute of Peace and Conflict Studies, 2017.
3. Bhattarai, Kamal Dev, Nepal's New PM Deuba Seeks Better Ties with India, The Diplomat, 2021.
4. Jha Hari Bansh. Nepal's FDI challenges, ORF., 2020.
5. Poudel, Santosh Sharma. India-Nepal Territorial Dispute Flares up Again, The Diplomat, 2022.
6. Patil Sameer, Mishra Vivek. "Agnipath Military Recruitment Scheme: Embracing the Global Practice for the Indian Context," Observer Research Foundation, 2022.
7. "Agnipath: India strike over controversial army hiring plan," BBC News, 2022.
8. Subedi, Surya P. "India-Nepal Security Relations and The 1950 Treaty Times For New Perspective." University of California Press Journals,1994:34(3):273-284.
9. Parashar, Sachin:"Boundary issue on bilateral agenda for two decades: Nepal." Times of India, May 19, 2020. Nayak, Sohini:"Nepal: Denying an undeniable border disputes with china," ORF, 2020."India and Nepal's Kalapani Border Disputes: An Explainer." ORF Issue Brief, 2020, 356.